वाणिज्य अ.ज.–730

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2017–18/प्रे 3880 दि: 13-3-18

आदेश

विषयः– कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के सन्दर्भ में।

कृषि उपभोक्ताओं को सतर्कता जांच से होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत् रखते हुए उनके लम्बित सतर्कता जांच प्रकरणों के एकमुश्त निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. कृषि कनेक्शनों (नियमित उपभोक्ता) की समस्त लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि (कम्पाउन्डिग व सिविल लाईबिलिटी) की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जावेगा। यह योजना दिनांक 30.06.2018 तक लागू रहेगी।
2. अब नियमित कृषि उपभोक्ताओं की सतर्कता जांच नही की जावेगी।
3. ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बढे हुए भार को नियमित कराना चाहते है, वे दिनांक 30.04.2018 तक बढे हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा कर सकेंगें एवं इस योजना के अन्तर्गत उनका बढा हुआ भार आदेश संख्या RE-AJ 264 दिनांक 30.08.2017 के प्रावधानों के अनुरुप नियमित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें। समस्त क्षेत्रीय अधिकारी उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर